

न्यायालय जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2018 (रा.अ.)

पंजीयन दिनांक 18.01.2018

- 1-श्री मोहन पिता औंकार जी जाति ब्राह्मण निवासी ओछड़ी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
- 2-श्री भंवर पिता बोललाल जी जाति ब्राह्मण निवासी ओछड़ी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
- 3-श्री अमृतलाल पिता सुरजमल जी जाति ब्राह्मण निवासी ओछड़ी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलार्थीगण


बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला-चित्तौड़गढ़

-रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ प्रकरण क्रमांक 154/2017 अतिक्रमण निर्णय दिनांक 27.09.2017

- उपस्थिति:-
- 1- श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता, अपीलांत
 - 2- श्री मनोहरलाल दक, राजकीय अभिभाषक



निर्णय

दिनांक 22.10.2019

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील चित्तौड़गढ़ के पटवार हल्का ओछड़ी की रिपोर्ट के आधार पर मौजा ओछड़ी की चरनोट आराजी नम्बर 686, 1275/686 रकबा 0.68 है. भूमि पर अपीलार्थीगण का अतिक्रमण मानते हुए अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 27.09.2017 को लगान का 50 गुणा शास्ति एवं बेदखल किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़


अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील चित्तौड़गढ़ के पटवार हल्का ओछडी की रिपोर्ट के आधार पर मौजा ओछडी की चरनोट आराजी नम्बर 686, 1275/686 रकबा 0.68 है. पर अतिक्रमण मानते हुए अपीलार्थीगण को दिनांक 27.09.2017 को उपस्थित होने के लिये नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी संख्या 1 व 3 दिनांक 27.09.2017 को स्वयं हाजिर हुए व उपस्थिति के हस्ताक्षर कराये तथा आगामी पेशी से अवगत कराने का कहते हुए अपीलार्थीगण को न्यायालय से भेज दिया तथा बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये पटवार हल्का द्वारा पेश किये गये दस्तावेज के संबंध में अपीलार्थीगण को जिरह का कोई अवसर नहीं देते हुए केवल मात्र एक तरफा बयान के आधार पर कब्जा मानते हुए बेदखली व जुर्माने का दिनांक 27.09.2017 को आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात पर अपीलार्थीगण का पुराना कब्जा होकर पूर्वजों के समय से चला आ रहा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बगैर अपीलार्थीगण का अतिक्रमण होना मानते हुए बेदखल एवं शास्ति का आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। दिनांक 27.09.2017 को अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया जिसकी अपीलार्थीगण को दिनांक 21.12.17 को ही जानकारी हुई तथा दिनांक 22.12.2017 को ही नकल प्राप्त कर जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी अपील में हुए विलम्ब को विस्तारित करने हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। विवादित आराजीयात पर अपीलार्थीगण का पुराना कब्जा होकर पूर्वजों से चला आ रहा है जो नियमन योग्य कब्जा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2017 निरस्त कर विवादित आराजीयात का नियमन आदेश अपीलार्थीगण के नाम जारी किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर काश्त की है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़




मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रुख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तदनुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत अपील में विवादित आराजीयात चरनोट होना बताया है यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि विवादित आराजीयात चरनोट नहीं होकर आराजी नम्बर 686 आबादी एवं आराजी नम्बर 1275/686 बीड़ भूमि है। पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थीगण को सूचना पत्र जारी करने पर अपीलार्थी संख्या 1 व 3 स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.09.2017 पर उनके हस्ताक्षर मौजूद है। अतः अपीलार्थीगण का कथन कि दिनांक 27.09.2017 को न्यायालय में हाजिर होने पर आगामी पेशी से अवगत कराने का कहते हुए अपीलार्थीगण को न्यायालय से भेज दिया तथा पटवार हल्का द्वारा पेश दस्तावेजों के संबंध में जिरह करने का अवसर नहीं दिया मानने योग्य नहीं है।

अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत अपील में ग्राम ओछडी की प्रश्नगत आराजी नम्बर 686 एवं आराजी नम्बर 1275/686 रकबा 0.68 हैक्टेयर पर पूर्वजों के समय से कब्जा-काश्त होने का कथन किया है लिहाजा इस आराजी पर अपीलार्थीगण के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत आराजीयात आराजी नम्बर 686 रकबा 0.11 है। एवं आराजी नम्बर 1275/686 रकबा 0.57 है। ग्राम ओछडी की किस्म कमशः आबादी एवं बीड़ है जो कि नियमन योग्य नहीं है। साथ ही अपीलार्थीगण ने विवादित आराजीयात पर उसका पूर्वजों के समय से कब्जा होने बाबत कोई साक्ष्य/दस्तावेज भी पेश नहीं किया है जिससे उनका अतिक्रमण नियमन की परिधि में आता हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पटवारी हल्का ओछडी की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थीगण का ग्राम ओछडी की आराजी नम्बर 686 एवं 1275/686 रकबा 0.68 है। भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने एवं लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2017 यथावत रखा जाता है।

“निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।”



(चेतन/द्वेषडा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

